सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः नि0का0/एसएसए/आ0सुविधा/ 105 /2012–13 दिनांक 11 अप्रैल, 2012

विषयः परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 02 यूनिट शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें से एक बालकों हेतु तथा एक बालिकाओं हेतु निर्धारित है। संस्थाओं द्वारा किये गये भ्रमण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विद्यालयों में बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय चिन्हित नहीं है तथा कतिपय शौचालय क्रियाशील भी नहीं है।

उक्त सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं:–

1. परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित 02 यूनिट शौचालय में से एक यूनिट बालिकाओं के लिये तथा एक यूनिट बालकों के लिये पृथक पृथक चिन्हित कर दिया जाये तथा इसका अंकन करा दिया जाये।
2. यह भी देखने में आया है कि विद्यालय में यदि दो शौचालय निर्मित हैं तो एक शौचालय छात्र/छात्राओं के लिये तथा एक शौचालय अध्यापकों के प्रयोग हेतु सुरक्षित कर लिया जाता हैं, जो उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि बालकों हेतु निर्धारित शौचालय का प्रयोग पुरुष अध्यापकों द्वारा तथा बालिकाओं हेतु निर्धारित शौचालय का प्रयोग महिला अध्यापकों द्वारा किया जा सकता है।
3. शौचालयों के प्रयोग हेतु यह सुनिश्चित किया जाये कि शौचालय में पानी की समुचित सुविधा उपलब्ध हो। शौचालयों में पंचायती राज/सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लगाये गये ओवरहेड टैंक के माध्यम से जल की व्यवस्था हो तथा जिन विद्यालयों में ओवर हेड टैंक उपलब्ध न हो वहां शौचालयों में केन/बाल्टी में पानी रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. स्वास्थ्य व स्वच्छता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि शौचालयों में साबुन प्रयोग हेतु उपलब्ध हो। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी विद्यालय विकास अनुदान से शौचालयों में साबुन की व्यवस्था हेतु

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

निर्देश दिये गये हैं। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि विद्यालय विकास अनुदान से शौचालय में साबुन की व्यवस्था उपलब्ध रहे।

4. शौचालयों में स्वच्छता की दृष्टि से पंचायती राज विकास द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों को यह निर्देश है कि वह विद्यालय के शौचालयों की सफाई करें। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों द्वारा विद्यालय के शौचालयों की सफाई नियमित रूप से की जाये।

5. शौचालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री फिनायल/चूना आदि विद्यालय विकास अनुदान से खरीदी जा सकती है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी विस्तृत निर्देश भेजे जा चुके हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से 25.04.2012 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्नकः उक्तवत्

भवदीय,

12/04/2012

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: नि0का0/एसएसए/आ0सुविधा/ 105 /2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/04/2012

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक